वादीगण के नाम पर दर्ज कराये जावे। तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये जावे। वकील वादीगण को सुनवाई का मौका दिया गया। वकील वादी की बहस को सुना गया। वकील वादीगण ने बहस में बयान किया गया कि ग्राम पालोद के खाता सं. 708 में वर्णित आराजियात में वादीगण के पति एवं वादीगण 2 व 3 के पिता का नाम ओमकार लाल दर्ज है के स्थान पर ओमकार दर्ज करने की घोषणा की डिक्री जारी की जावे वादी सं. 1, 2, 3 के अन्य सभी दस्तावेजों में ओमकार अंकित होने से दस्तावेजों एवं राजस्व रिकार्ड में भिन्नता होने से इनकी पहचान एक रूपता हो सके तथा वादीगण को अनावश्यक कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़े। इस पर पत्रावली का एवं संलग्न दस्तावेजों राजस्व रिकार्ड का गहनता से परीक्षण किया गया परीक्षण उपरान्त पाया गया कि वादीगण के राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में एकरूपता नहीं होना पाया गया है इसलिए दस्तावेज अनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्ध किया जाना उचित होकर न्यायसंगत है। अतः, वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. इन्द्राज दुरुस्ती का स्वीकार किया जाता है। तथा आदेश दिया जाता है कि मौजा पालोद के खाता सं. 708 में वर्णित वादी संख्या-1 शोभा पत्नि ओमकार डांगी वादी सं. 2 जानवी पुत्री ओमकार, विशाल पुत्र ओमकार राजस्व रिकार्ड में शुद्ध अंकन करने की घोषणा की जाती है। तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली में डिक्री पर्चा अलग से मुरत्तिब होकर संलग्न पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.08.18 15:35:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner